<u>स्पीड पोस्ट द्वारा</u>

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

सं. 54/2/2015-ईएमएस दिनांक: 23 मार्च, 2015

सेवा में

सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों
के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय : **निर्वाचकों की अंगुली पर अमिट स्याही लगाना-तत्संबंधी।**

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हाल ही के पिछले निर्वाचनों के दौरान, अमिट स्याही को अनुचित रूप से लगाने के बारे में आयोग को कुछ रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। आयोग द्वारा इस मामले पर विचार-विमर्श किया गया है और आयोग ने यह निदेश दिया है कि सभी भावी निर्वाचनों के दौरान, निम्नलिखित का कड़ाई से पालन किया जाए :-

1. अमिट स्याही **बाईं तर्जनी के नाखून के आखिरी सिरे से प्रथम जोड़ के नीचे तक ब्रश** (मै. मैसूर पेन्ट्स एण्ड वार्निश लिमिटेड द्वारा आपूर्ति किया जाने वाला) की सहायता से मतदाता की अंगुली पर लगाई जाएगी जैसाकि नीचे आरेख में दर्शाया गया है।

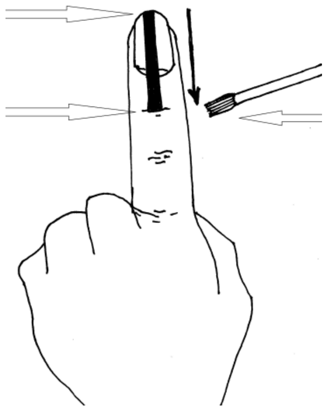

2.. कन्ट्रोल यूनिट के प्रभारी मतदान अधिकारी **यह सुनिश्चित करेंगे कि** कन्ट्रोल यूनिट का बैलेट बटन दबाने से पहले, **निर्वाचकों की अंगुली पर अमिट स्याही का निशान पूरी तरह से लगा हो।**

इस अनुदेश की एक प्रति सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और रिटर्निंग अधिकारियों को भेजी जाए। प्रशिक्षणों के दौरान इस अनुदेश को सभी पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों के सख्त अनुपालन के लिए उनके संज्ञान में लाया जाए। मतदान ड्यूटी पर जाते समय पीठासीन अधिकारी को दी गई किट में भी इस अनुदेश की एक प्रति रखी जाएगी।

भवदीय,

(मधुसूदन गुप्ता)
अवर सचिव

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. प्रबंधक निदेशक, मैसूर पेन्ट्स एण्ड वार्निश लिमिटेड, न्यू बन्नीमंतप एक्सटेंशन मैसूर-570015, कर्नाटक को इस अनुरोध सहित कि अमिट स्याही के साथ-साथ ब्रशों की आपूर्ति भी सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को तत्काल प्रभाव से की जानी सुनिश्चित करें।

2. सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के राज्य निर्वाचन आयुक्तों को उनकी सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु।